महात्मा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत

- ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित

अजमेर, (कासं)। महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को अजमेर क्लब स्थित ज्योतिबा फुले सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नेताओं, पार्षदों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों सहित आमजन ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि महात्मा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित करने के साथ-साथ दलितों और महिला उत्थान के पक्षधर रहे। उनके विचारों से सीख लेने की जरूरत है। नगर निगम में कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि उन्होंने उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो काम इसकी वजह सेही इतनी उन्नति कर पा रहे है। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, फुले के विचारों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए काफी बाधाए खड़ी की, उन पर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी शिक्षा, सामाजिक व सेवा क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटे हमें भी उनके पद चिह्नों पर चल का काम करना चाहिए। वहीं पूर्व मेयर धर्मेन्द्र गहलोत ने कहा कि मैं उनका नमन करता हूं और प्रकृति ने जिस प्रकार से महिला और पुरुष को समान रूप से जन्म लिया, संविधान में जो समान अधिकारी मिले उन अधिकार के नाते उसका धारातल पर उतारते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्र बाई फुले ने जीवन भर संघर्ष करके महिला को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, महिलाओं कोउत्थान और देश के अंदर महिलाओं को नाम, उनकी जलाई हुई अखल आज देश में देखने को मिल रही है, महिलाओं को आज आरक्षण मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। इस में फुले दंपत्ति को नमन करते हैं।

ज्योतिबा फुले स्मारिक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि।

केन्द्राधीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित

अजमेर, (कासं)। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में गुरुवार को केन्द्राधीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। कलक्टर वन्दना खोरवाल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 से 3 दिसम्बर तक प्रातः 9 से 2 बजे एवं अपराह्न 2:30 से 5:30 बजे तक दो पारियों में आयोजित होगी।

निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजन

आसीन्द, (निसं)। आसींद क्षेत्र के कालियास कस्बे के वरिष्ठ भामाशाह एवं समाजसेवी स्वर्गीय नाथूलाल त्रिपाठी की पुण्य समृती में कालियास कस्बे की सुंदर वाटिका में जिला अंधतत्व निवारण समिति भीलवाड़ा की प्रशासनिक अनुमति से निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुलाबपुरा नगरपालिका की वार्ड पार्षद प्रियंका शर्मा, कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर रविवार को कालियास कस्बे की सुंदर वाटिका प्रातः 9 से 2तक शिविर का आयोजन होगा, इस शिविर में सभी नेत्र रोगियों की नजर चश्मा,काला पानी,मोतीयाबिन्द,नासूर पर्दे की बीमारी आदि की जांच निशुल्क की जाएगी, वहीं परीक्षण पश्चात् ऑपरेशन योग्य मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए गोमाबाई नेत्रालय नीमच में निर्धारित दिनांक को निशुल्क किए जाएंगे. ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीजों को चाय बिस्किट भोजन एवं बिस्तर को गोमाबाई नेत्रालय द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ऑपरेशन वाले मरीजों को नेत्रालय पहुंचने में वापस लाने की व्यवस्था भी निशुल्क होगी। ऑपरेशन हेतु भर्ती होने वाले मरीजों को अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी को साथ में लाना आवश्यक है। इस ऑपरेशन शिविर का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

अजमेर, (कासं)।जिला कलक्टर लोक बंधु ने निर्देश दिए हैं कि जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रा से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष कार्यवाही की जाए। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर सडक़ किनारे के अतिक्रमणों को चिह्नित करें। उन्होंने यह निर्देश जिला स्तरीय सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में दिए।जिला स्तरीय सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कलक्टर ने कहा कि अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। अतिक्रमी प्रारंभ में अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण करता है। उसे उसी समय रोका जाना चाहिए। सडक़ पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त द्वारा की जाएगी। यह कमेटी शहर के मुख्य रास्तों पर हुए अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्यवाही करेगी।

बैठक में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक निर्माण के लिए परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराई गई थी। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का कब्जा तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग को सौंपा जाना चाहिए।

एक दिसंबर को प्रतिभा सम्मान व 4 दिसंबर को होगा भव्य जागरण

- श्रीमद् भागवत कथा से आठवें पाटोत्सव का शुभारंभ
- यज्ञ व कलश शोभायात्रा का आयोजन

नागौर ,(निसं)।संत शिरोमणि श्रीलिखमीदासजी महाराज स्मारक विकास संस्थान, अमरपुरा- नागौर के तत्वावधान में भव्य स्मारक व देवमंदिर के लोकार्पण के आठवें पाटोत्सव (वर्षगांठ) का शुभारंभ हुआ। इस आठ दिवसीय पाटोत्सव में प्रितमदासजी का रामद्वारा, मेड़ता रोड के रामस्नेही संत गोवर्धन दास महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रातः काल विधि विधान पूर्वक यज्ञ व भागवत शोभायात्रा भी आयोजित की गई।

पंडित विकास शास्त्री के मार्गदर्शन द्वारा मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ कार्यक्रम संपन्न किया गया। यज्ञ में प्रथम दिन के यजमान के रूप में इंदिरा देवी धर्मपत्नी रामकुमार अमरपुरा व चुका देवी धर्मपत्नी रामकुमार सोलंकी चैनार द्वारा मंत्रोच्चार के बीच समिधा समर्पित की गई।इस अवसर पर संस्थान के महासचिव राधाकिशन तंवर, कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र सोलंकी तथा सैनिक क्षित्रय माली संस्थान, नागौर के अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा, कृपाराम गहलोत, डॉ शंकर लाल परिहार, जगदीश सोलंकी, कुंभाराम मेघवाल, नेनाराम घोसलिया, जंवरी लाल मेघवाल, धारूराम, दौलत भाटी, पापालाल सांखला, दीपक गहलोत, गणपत सांखला, पन्नालाल, राजाराम टाक व गोविन्द पंवार सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने कथा श्रवण का लाभ प्राप्त किया व शोभायात्रा में सहभागी बनेबालेसर के संत रामरतन महाराज व साध्वी सुखी बाई के पावन सान्निध्य में आयोजित कथा का शुभारंभ करते हुए संत गोवर्धन दास महाराज ने शुकदेव मुनि के श्रीमुख से द्वापर युग में कही गई भागवत कथा के महात्म्य का विषद् विवेचन किया। उन्होंने कहा कि निर्गुण भगवान भक्त के प्रेम के कारण सगुण या मानव लोक में शरीर रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरस्वती के किनारे बैठे मुनि वेदव्यास व नारद मुनि के मध्य में संपन्न प्रश्नोत्तर के रूप में बताया कि जो उदास है वह संत नहीं है और जो संत है वह उदास नहीं है। संत केवल परदुख से चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत भगवान व भक्त की महिमा है। भारतीय समाज जीवन में अनेक आध्यात्मिक शास्त्रों की रचना की गई है जिसमें लोक व्यवहार की बातें हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा का सागर है। उन्होंने कहा कि वाणी की सार्थकता भगवान के नाम उच्चारण में है। संत लिखमीदास महाराज पढे लिखे नहीं थे किंतु भगवत् भक्ति व भगवत् स्मरण आधारित उनका संपूर्ण जीवन रहा है। इस कलयुग में श्रेष्ठ व परमार्थ के कार्य करते हुए ईश नाम स्मरण ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। पाटोत्सव में सायं 7:30 बजे से नानी बाई का मायरो कथा श्रवण का पुण्य लाभ भी श्रोता उठा सकेंगे।

पाटोत्सव में रविवार 1 दिसंबर को राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत व अनेक शिक्षाविद् व जन प्रतिनिधियों के आतिथ्य में माली सैनी समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होगा जबकि 4 दिसंबर को अनेक प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भव्य जागरण के माध्यम से श्रोता श्रद्धालुओं में भक्ति रस का संचार किया जाएगा। पाटोत्सव का समापन 5 दिसंबर को स्मारक व देव मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण के साथ होगा।

यज्ञ व भागवत शोभायात्रा भी आयोजित की गई।

प्रसारण एवं वितरण कंपनियों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल

- बिजली कर्मचारी 29 नवंबर को कार्य बहिष्कार करते हुए भीलवाड़ा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे
- रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपने जाएंगे

भीलवाड़ा। बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण कंपनियों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी बिजली कर्मचारी 29 नवंबर को कार्य बहिष्कार करते हुए भीलवाड़ा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। फिर रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपने जाएंगे।

राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य जुम्मा काठात ने बताया कि प्रदेश के विद्युत निगमों में उत्पादन, प्रसारण और वितरण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जो न केवल कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि राज्य की जनता के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। हमारा विरोध इस निजीकरण के खिलाफ है। राज्य सरकार ने तापीय विद्युत उत्पादन गृहों को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया है, जो कि राज्य की विद्युत आपूति में आत्मनिर्भरता को खतरे में डाल सकता है। इन पावर प्लांट्स में कोई पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्हें केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों के साथ ज्वेंट वेंचर के नाम पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसे तुरंत रोका जाए। ओ.पी.एस. योजना में कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष से फॉर्म भरवा कर सदस्य बनाया गया था, लेकिन अभी तक ओ.पी.एस. का लाभ नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बावजूद सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती शुरू नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार और विद्युत प्रशासन इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान नहीं देंगें तो वे भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से श्रमिक आंदोलन को और तेज करेंगे।

NAME CHANGE

I, BADSABI Mother of 15787919P Rank HAV, Name: SHAIKH CHAND SHAIKHNUR SHAIKH Residing at Vill:- BHADJI, Post:- KHULTABA, Tehsil: KHULATABAD, Distt- AURANGABAD, State:- MAHARASHTRA, Pin:- 431101 have changed my name from BADSABI to BADESHA NUR SHEKH vide affidavit BW 943037 Dated 28/11/2024 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, SHIKHNUR Father of 15787919P Rank HAV, Name: SHAIKH CHAND SHAIKHNUR SHAIKH Residing at Vill:-BHADJI, Post:- KHULTABAD,Tehsil:- KHULATABAD, Distt- AURANGABAD, State:- MAHARASHTRA, Pin:- 431101 have changed my name from SHIKHNUR to SHEKHNUR SANDU SHAIKH vide affidavit BW 943039 Dated 28/11/2024 before Court campus Nasirabad

नाम व जन्मतिथि सुधार हेतु

मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग MAMANI DEVI गलत दर्ज है, जबकि सही स्पेलिंग MAMNI DEVI है तथा मेरी जन्मतिथि 01.01.1942 जो गलत है, जबकि सही जन्मतिथि 16.05.1942 है।
मामनी देवी स्व. चन्द्रदत्त शर्मा, म.नं. 224 A/28, भजनगंज, नई बस्ती, अजमेर।
मो. नं. 9828470564

आम सूचना

मेरी सासुजी श्रीमती सोहनी देवी पत्नी सुवालाल जाति नट निवासी ग्राम काचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास दिनांक 8 फरवरी 2021 को मेरे निवास स्थान पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। -संतोष देवी पत्नी अर्जुन

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला निम्नहस्ताक्षरकर्ता श्रीमती पप्पू देवी धर्मपत्नि स्व. श्री छोटू साहू निवासी-मेवाडी गेट, म. नं. 630 मास्टर कोलोनी, हाल दादाबाडी बलाड़ रोड, ब्यावर की रहने वाली हूं मेरे पति के देहान्त बाद मेरे बेटे अजय साहू उम्र 28 वर्ष व पुत्रवधू गंगा देवी जो कि उसकी नातायत पत्नि हैं। पिछले काफी समय से गलत दुव्यर्वहार क्रूरतापूर्ण रूप से झगडा करने के कारण मेरे द्वारा उनको दिनांक 26-08-2024 से अपनी तमाम हक हिस्सेशुदा चल-अचल सम्पतियों से बेदखल कर दिया है तथा आज के बाद इनसे कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है तथा कोई भी दीगर आमजन इनसे लेन-देन संव्यवहार नहीं करे यदि करते हैं तो गलत व झूठे माने जायेंगे तथा इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः सूचित रहे।
गणपत सिंह चौहान, एडवोकेट
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

आम सूचना

मेरे पिता स्व. मदनलाल पुत्र स्व. गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मान्डियावड, खुर्द की मृत्यु 21-07-1979 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम मान्डियावड, खुर्द में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत काकलवाड़ा में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पिता स्व. मदनलाल ब्राह्मण का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
प्रार्थी- सीताराम शर्मा पुत्र स्व. मदनलाल ब्राह्मण ग्राम मान्डियावड, खुर्द तह. अरांई (अजमेर)

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/110510 DATE :- 28-11-2024 रीत बख्शीश - नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/9219 दिनांक: 28-11-2024

सार्वजनिक सूचना

श्री चेतन प्रकाश परिहार पुत्र श्री कन्हैयालाल परिहार निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 1,मोती पुरा बाडिया म्यु नं. 7/501 नया नम्बर 22 का उत्तरी भाग प्रा नं. 4 क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती सीता देवी पत्नी कन्हैयालाल के नाम दर्ज है। रजि बख्शीश-नामा दिनांक 20.06.2024 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/110515 DATE :-28-11-2024 रीत बख्शीश - नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/9220 दिनांक: 28-11-2024

सार्वजनिक सूचना

श्री चेतन प्रकाश परिहार पुत्र श्री कन्हैयालाल परिहार निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 1, मोती पुरा बाडिया म्यु नं. 7/501 नया नम्बर 22 का उत्तरी भाग प्रा नं. 2 क्षेत्रफल 44.23 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती सीता देवी पत्नी कन्हैयालाल के नाम दर्ज है। रजि बख्शीश-नामा दिनांक 20.06.2024 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/97468 DATE:-26-11-2024 रीत बख्शीश - नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/9206 दिनांक: 28-11-2024

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती माया यादव पत्नी श्री शंकरलाल जी यादव निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 1, जाग्रत नगर द्वितीय खसरा नं. 133 प्लाट नं. 21 क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती रूकमणी देवी पतनी श्री हजारीलाल रेगर के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 24.10.2007, 31.07.2009, 15.04.2024, 14.08.2024 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/110503 DATE :-28-11-2024 रीत बख्शीश - नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/ दिनांक: 28-11-2024

सार्वजनिक सूचना

श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह ब्यावर ने क्षेत्र नं. 5, शिव कॉलोनी जवाजा मार्ग प्लाट नं. 37 का पूर्वी भाग 37-बी व प्लाट नं. 38 का पूर्व-दक्षिणी भाग 38 - बी क्षेत्रफल 150.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री योगेश दवे पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद व अन्य के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 31.07.2020, 24.03.2023, व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कौशल प्रकाश शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा की ग्राम चौरसियावास, तहसील अजमेर के वर्किंग खसरा नंबर 1647 एव 1710, प्लाट नंबर 47 में क्षेत्रफल 220 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त भूखंड की भूमि आवेदक ने भारत उद्योग सहकारी समिति ltd, अजमेर से रजिस्टर्ड अलॉटमेंट द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 1984 को प्राप्त की है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।

आम सूचना दिनांक 25.11.2024 खण्डन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल नाथूसिंह पुत्र स्व. श्री मिठूसिंह जाति रावत निवासी शिवगंज कॉलोनी, देलवाडा रोड, ब्यावर की माता बिदामी देवी द्वारा दिनांक 25.11.2024 को एक आम सूचना प्रेषित कर उनके द्वारा निष्पादित व पंजीकृत करवाया गया हक परित्याग पत्र दिनांकित 13.12.2023 को दबाव में व डरा धमका कर लिखा पढ़ी करवाने के कथन किया गया है। जो कि उपरोक्त सूचना सर्वथा गलत व असत्य है। उपरोक्त हक परित्याग पत्र दिनांक 13.12.2023 बिदामी देवी, रामसिंह, अर्जुनसिंह, व दुर्गा देवी द्वारा अपनी पूर्ण जानकारी व होशो हवास में निष्पादित कर पंजीयन कार्यालय मे उपस्थित होकर पंजीकरण की कार्यवाही मेरे मुवक्किल के हक में करवाई थी जो कार्यवाही सर्वथा वैध है जबकि उक्त हक परित्याग पत्र के द्वारा उपरोक्त सभी निष्पादनकर्ताओं द्वारा प्रतिफल राशियां भी प्राप्त की गई थी। इसीलिए उपरोक्त आम सूचना पूर्णतया भ्रामक है तथा बिदामी देवी जो कि रामसिंह, अर्जुनसिंह व दुर्गा देवी के बहकावे व दबाव में आकर उक्त आम सूचना प्रकाशन करवाई गई है जो अविश्वसनीय है। अतः सूचित रहे
भवदीय- नेपाल सिंह रावत एडवोकेट, ब्यावर
वास्ते नाथूसिंह पुत्र स्व श्री मिठूलाल निवासी शिवगंज कॉलोनी, देलवाड़ा रोड ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि/कृ.भूमि/2024/680 दिनांक: 27-11-2024

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 26, 28, 35, 36, 41 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या ए-238 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज मे से विखण्डित भूखण्ड संख्या ए-238 पार्ट-ए क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या ए-238 पार्ट-बी क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज) पर श्री यौधा सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर उपविभाजन चाहा गया है। जिसकी सीमाऐ निम्न प्रकार से है -
पूर्व में - भूखण्ड संख्या ए-267 पश्चिम में - 30 फीट चौड़ा रास्ता
उत्तर में - भूखण्ड संख्या ए-239 दक्षिण में - भूखण्ड संख्या ए-237
अतः उक्त उपविभाजन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रभारी नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/24-25/भवन/643 दिनांक: 28-11-24

आपत्ति सूचना

श्री हरीश भागवानी पुत्र स्व. श्री तीर्थदास निवासी हाउस नं. 7 संत आशा राम कॉलेनी रेलवे हास्पीटल के सामने ब्यावर रोड अजमेर द्वारा सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 10/16 का भाग है वैशाली नगर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 80.04 वर्गमीटर है। भूमि के वर्तमान मास्टर 15 प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/16 का पश्चिम का भाग पश्चिम - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/16 का पश्चिम का भाग
उत्तर - आम रास्ता दक्षिण - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/16 का पश्चिम का भाग है
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/24-25/भवन/642 दिनांक: 28-11-24

आपत्ति सूचना

श्रीमती जैश्री भागवानी पत्नी श्री राकेश भागवानी निवासी हाउस नं. 7 संत आशा राम कॉलेनी रेलवे हास्पीटल के सामने ब्यावर रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 10/16 का भाग है वैशाली नगर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 69.17. वर्गमीटर है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/17 पश्चिम पश्चिम - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/16 का भाग
उत्तर - आम रास्ता दक्षिण - जायदाद ए.एम.सी. नं. 10/15 है
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/24-25/658 दिनांक- 27-11-2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्रीमति रेखा देवी टांक पत्नि श्री सुरेशचन्द टांक निवासी रूकमणी नगर, देलवाडा रोड, ब्यावर ने राजस्व ग्राम गढीथोरियान के खसरा नम्बर 78 में स्थित गजानन्द नगर के भूखण्ड संख्या 10 कुल क्षेत्रफल 225.00 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)
पूर्व- प्लाट नं. 11 पश्चिम- प्लाट नं. 09
उत्तर - प्लाट नं. 17 व 15 दक्षिण - रोड सेन्टर से 50 फीट
आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक/न.प.कि/कृ.भूमि/2024/682 दिनांक: 27-11-2024

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 1179/2 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या 07 08 क्षेत्रफल 342.43 वर्गगज) पर श्री अक्षित जामड पुत्र श्री राजकुमार जामड ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तांतरण चाहा गया है। जिसकी सीमाऐ निम्न प्रकार से है -
पूर्व में - भूखण्ड संख्या 09 पश्चिम में - भूखण्ड संख्या 06
उत्तर में - अन्य भूखण्ड दक्षिण में - 40 फीट चौडा रास्ता
अतः उक्त नाम हस्तांतरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रभारी नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/24-25/660 दिनांक- 27-11-2024

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री सुरेश टांक पुत्र श्री नोरतमल टांक निवासी रूकमणी नगर, देलवाडा रोड, ब्यावर ने राजस्व ग्राम गढीथोरियान के खसरा नम्बर 78 में स्थित गजानन्द नगर के भूखण्ड संख्या 11 कुल क्षेत्रफल 225.00 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)
पूर्व- प्लाट नं. 12 पश्चिम- प्लाट नं. 10
उत्तर - प्लाट नं. 15 दक्षिण - रोड सेन्टर से 50 फीट
आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या बी-68 क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर के नामान्तरित श्रीमती सरला गांधी पत्नी श्री जगदीश नाराण द्वारा उक्त भूखंड का बेचान श्रीम